या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

| वकीलों द्वारा कार्य
राज्य कार्य से व्यस्त
ख पेशी हो गई। मत
में दिनांक 24/09/24

हस्ताक्षर रीडर

वकीलों द्वारा कार्य
ज्य कार्य से व्यस्त
पेशी हो गई। मत
दिनांक 24/09/24

हस्ताक्षर रीडर

वकील अभयपक्ष उप०/ अप्रार्थी
ओर से वकील श्री अमरसिंह
न पेश किया। वास्ते तामील तलबी
अदालती नोटिस से की जाकर
.09/2024 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

द्वारा कार्य
से व्यस्त
गई। मत
4/10/24

रीडर

कार्य
व्यस्त
मत
10/24

रीडर

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	लालाराम / विश्रामसिंह 06/2024 विविध प्रा०पत्र	

वास्ते पत्रावली प्रतिवादी संख्या 1 की जरिये रुपालसी नोटिस तामील होकर दिनांक 30/10/24 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

दि० 30/10/24 राजकीय अवकाश होने से आज

4/11/24 पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य से व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी हो गई। मत आदेश की पालना में दिनांक 8/11/24 को पेश हो।

हस्ताक्षर रीडर

8/11/24
पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य से व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी हो गई। मत आदेश की पालना में दिनांक 13/11/24 को पेश हो।

हस्ताक्षर रीडर

13/11/24
पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य से व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी हो गई। मत आदेश की पालना में दिनांक 29/11/24 को पेश हो।

हस्ताक्षर रीडर

29/11/24 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप०। प्रतिवादी संख्या 1 की तलबी जरिये सम्मन रजि० दिनांक 8/10/24 को की गई। एक माह से अधिक समय व्यतीत हो चुका है। प्रतिवादी 1 की एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। बहस प्रा० पत्र सुनी गई। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर दिनांक 11/10/23 को अनवानी प्रकरण विश्राम / जगदीश वगै० मु० नं० 95/2023 दावा 36 घोषणा एवं इन्द्राज दुरुस्ती नक्शा शीट निर्णय व डिक्री जारी आदेश अपास्त किये जाते हैं। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण फैसलशुमार होकर मूल वाद को हम फिश है। निर्णयानुसार मूल वाद में सुनवाई हो।

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner

यालय उपजिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई जिला दौसा।

. 06/2024
र दिनांक:– 01.03.2024
ना पत्र आदेश 9 नियम 13 एवं दफा 151 जा.दी
य दिनांक 29.11.2024

उनवान

ाराम पुत्र पन्नालाल जाति माली निवासी घाटडा तहसील राजगढ़ जिला अलवर।

प्रार्थी

बनाम

विश्रामसिंह उके हरबक्स उर्फ बक्शी जाति गुर्जर निवासी मुकरपुरा तहसील बांदीकुई जिला दौसा।

जगदीश पुत्र गुरूसहाय
चेतप्रकाश पुत्र नन्दाराम
धप्पोदेवी पत्नि नन्दाराम
रामकुंवार पुत्र श्रवण
रोहिताश पुत्र नन्दाराम
हरफूल पुत्र गुरूसहाय

समस्त जाति माली निवासी घाटडा तहसील राजगढ जिला अलवर

राजस्थान सरकार जरिये तहसीदार महोदय तहसील बांदीकुई जिला दौसा।

अप्रार्थीगण

(प्रार्थना पत्र जैर आदेश 09 नियम 13 एंव दफा 151 जा.दी.)

प्रार्थी द्वारा विरूद्ध अप्रार्थीगण प्रार्थना पत्र जैर आदेश 09 नियम 13 एंव दफा 151 ा.दी. का न्यायालय हाजा में जरिये वकील पेश किया गया। जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न कार है:–न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 11/10/2023 को उनवानी प्रकरण विश्राम सिंह नाम जगदीश वगैराह दावा नम्बर 95/2023 दावा उद्घोषणा एंव इन्द्राज दुरूस्ती नक्शा ीट का निर्णय व डिक्री प्रार्थी व अप्रार्थी 02 लगायत 07 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही दिनांक 13.09.2023 को अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में पारित कर दी जिससे व्यथित होकर प्रार्थी ा प्रार्थना पत्र एक तरफा कार्यवाही हटाने बाबत् पेश करना लाजिम आया। अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 02 लगायत 07 के विरूद्ध एक दावा उद्घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती नक्शा शीट खसरा नम्बर 647/175 रकबा 0.06 हैक्टेयर वाके ग्राम बाढ़ बगीची तहसील बांदीकुई जिला दौसा को खसरा नम्बर 677/175 रकबा 0.06 हैक्टेयर वाके ग्राम बाढ बगीची की जगह नक्शा शीट में दुरूस्ती के आदेश पारित किये गये। खसरा नम्बर 647/175 अप्रार्थी संख्या 01 का है तथा खसरा नम्बर 677/175 प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 02 लगायत 07 का है। उक्त डिकी व आदेश से प्रार्थी एंव अप्रार्थी संख्या 02 लगायत 07 जो कि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के द्वारा खसरा नम्बर 677/175 को खरीदकर व तकास्मा करके काबिज काश्त चले आ रहे है, को बेदखल होना पडेगा जबकि खसरा नम्बर 647/175 जो कि अप्रार्थी संख्या 01 का है तथा वो दीगर व्यक्तियों को पूर्व में ही जरिये इकरारनामा विक्रय कर चुका है तथा अब उस पर दीगर व्यक्तियों ने पुख्ता निर्माण कार्य कर रखा है उस पर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 02 लगायत 07 का किसी भी कदर कब्जा सम्भव नहीं है तथा पक्षकारान में गैर जरूरी किस्म के मुकदमात चल उठेंगे जिसकी बाबत अप्रार्थी संख्या 08 जिसके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई है उससे मौके की वास्तविक रिपोर्ट मंगाया जाना न्यायालय एंव लाजमी थी लेकिन इसके बावजूद भी अप्रार्थी संख्या 01 ने तामील कुनिन्दा से सांठ गांठ करके अप्रार्थी संख्या 02 लगायत 08 व प्रार्थी के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही करवाकर उक्त निर्णय व डिकी पारित करवा ली जिसके कारण वो अपनी डिफेन्स नहीं कर सके, न्याय हित

Scanned with OKEN Scanner

नके विरूद्ध की गई एकतरफा कार्यवाही हटाई जाकर उन्हें सुनवाई का मौका दिया जाना मी है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 02 लगायत 08 को जरिये रजिस्टर्ड डाक से दिनांक /07/2023 को तलब किया था लेकिन उन्हें उक्त डाक प्राप्त ही नहीं हुई तथा न ही उक्त न्यायालय हाजा में लौटकर आई अप्रार्थी संख्या 01 ने डाक विभाग से साज करके गलत के से उनकी एकतरफा कार्यवाही करवाई है जो काबिले गौर है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या लगायत 07 की भूमि खसरा नम्बर 677/175 का न्यायालय ए.सी.एम महोदय बांदीकुई से ंक 27/07/2023 को उनवानी लालाराम बनाम चेतप्रकाश वगैराह तकासमें की अन्तिम ी व निर्णय पारित हो चुके है उसके अमल दराज बाबत प्रार्थी तहसील कार्यालय व हल्का ारी से दिनांक 08/01/2024 को मिलने पर उसे हल्का पटवारी ने उक्त एकतरफा य व डिक्री की जानकारी देने पर प्रार्थी ने न्यायालय हाजा से दिनांक 08/01/2024 को ल प्राप्त करने व जमाबन्दी दिनांक 06/02/2024 को हल्का पटवारी से प्राप्त होने से ना पत्र अन्दर मियाद पेश है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि र्थी के विरूद्ध की गई एक तरफा कार्यवाही दिनांक 13/09/2023 को निरस्त फरमा कर के विरूद्ध पारित की गई। निर्णय व डिक्री खारिज फरमाई जाकर उसे सुनवाई का मौका जाने के आदेश फरमाने की कृपा करे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण गई। अप्रार्थीगण के उपस्थित नहीं होने पर एक पक्षीय कार्यवाही की गई तथा पत्रावली बहस पर नियत किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस अपने प्रार्थना पत्र जैर देश 09 नियम 13 एंव दफा 151 जा.दी. को दोहराते हुए तर्क किया कि न्यायालय हाजा दिनांक 11/10/2023 को उनवानी प्रकरण विश्राम सिंह बनाम जगदीश वगैराह दावा बर 95/2023 दावा उद्घोषणा एंव इन्द्राज दुरूस्ती नक्शा सीट का निर्णय व डिक्री प्रार्थी अप्रार्थी 02 लगायत 07 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में पारित दी, जिससे अप्रार्थी अपना पक्ष रखने से वंचित रह गया। अतः एकतरफा कार्यवाही को रस्त फरमाकर सुनवाई का मौका दिये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करे।

न्यायालय द्वारा प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन एवं पत्रावली में उपस्थित तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी की तलबी जरिये रजिस्टर्ड डाक से की गई थी, सके लिफाफे भी वापिस प्राप्त नहीं हुए है। न्यायालय द्वारा विधिवत् तलबी की जाना प्रतीत ती है परन्तु प्रार्थी अब सुनवाई का अवसर चाहता है। न्यायहित में प्रार्थी को अपना पक्ष रखे ने हेतु मौका दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 एवं दफा 151 जा.दी स्वीकार या जाकर न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 11/10/2023 को उनवानी प्रकरण विश्राम सिंह म जगदीश वगैराह मु0न0 95/2023 दावा उद्घोषणा एंव इन्द्राज दुरूस्ती नक्शा सीट में ी गई एक तरफा डिक्री आदेश को अपास्त किया जाता है। उक्त प्रकरण में प्रार्थी को विधिवत सुनवाई का अवसर दिया जाता है। उक्त प्रार्थना पत्र फैसलशुमार होकर मूल वाद के मिसिता हो। मेरे द्वारा आज दिनांक 29.11.2024 को खुले न्यायालय में निर्णय सुनाया गया।

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई